UPSI050007932019

न्यायालय Civil Judge Senior Division, Sitapur

पीठासीन अधिकारी– (Pramod Singh Yadav), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01977**

मूलवाद सं० – Old Civil Suit/149/2001

CIS No. 377/2019

शैलेन्द्र कुमार यादव आयु 36 वर्ष पुत्र श्री रामानन्द यादव नि0 402 घ ूरामऊ बंगला समस्त शहर सीतापुर सीतापुर परगना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुर। ——— वादी

बनाम

1– मैकू वयस्क पुत्र मुल्लू निवासी शिवाला पुरवा पुराना सीतापुर परगना तहसील व जिला सीतापुर (मृतक दौरान मुकदमा)

1/1–श्रीकृष्ण वयस्क पुत्र स्व0 मैकू
1/2–गजराज पुत्र स्व0 मैकू
1/3–कमलेश पुत्र स्व0 मैकू
1/4–हरिओम वयस्क पुत्र लालजी
1/5–मनोज वयस्क पुत्र लालजी
1/6–लालजी वयस्क पुत्र लालजी
1/7–कु0 मीना वयस्क पुत्री स्व0 लालजी
1/8–श्रीमती लीलावती वयस्क पत्नी स्व0 लालजी
समस्त निवासीगण ग्राम शिवालापुरवा पुराना सीतापुर पर0,तह0 व जिला सीतापुर।
2–नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर। ——प्रतिवादीगण

एक पक्षीय निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा तथा घोषणात्मक व्यादेश के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

वाद पत्र के अनुसार संक्षेप में वादी का अभिकथन इस प्रकार है कि विवादित भूखण्ड स्थित मोहल्ला मुंशीगंज निकट पानी की टंकी, पुराना सीतापुर, परगना, तहसील व जिला सीतापुर अक्षरांकित अ,ब,स,द नगर पालिका परिषद सीतापुर की भूमि थी जिसको आवासीय प्रयोजन हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा लेआउट प्लान स्वीकृत कराया गया और भूखण्ड आवंटित किये गये जिसमें वादी को विवादित भूखण्ड (चौहद्दी उत्तर–सड़क, दक्षिण–खेत रऊफ आदि, पूरब–प्लाट गुरूचरन, पश्चिम–नगर पालिका प्लाट सं0–6) आवंटित हुआ। उपरोक्त विवादित भूमि पर नगर पालिका सीतापुर द्वारा संगठित आवासीय योजना के अन्तर्गत मुंशीगंज आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 1985 में पंजीकरण करके मध्यम आय वर्ग के भूखण्डों का वर्ष 1985 में ही आवंटन किया गया। वादी द्वारा विवादित भूखण्ड के आवंटन हेतु उपरोक्त योजना में आवेदन किया गया और पंजीकरण धनराशि जमा करके अपना पंजीयन कराया गया जिसपर भूखण्ड सं0 5 मु0 3000–00

रूपये जमा कराकर वादी को आवंटित किया गया। वर्ष 1986 में विवादित भूखण्ड का कब्जा वादी को दे दिया गया। वादी द्वारा विवादित भूखण्ड की समस्त धनराशि अदा कर दी गयी है तथा उसपर अपना निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है जो आज भी विद्यमान है। प्रतिवादी सं0—1 मैकू द्वारा वादी को विवादित भूखण्ड सं0 5 से जबरन बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। दिनांक 13.02.2001 को वादी द्वारा विवादित भूखण्ड सं0 5 की नींव, चाहार दीवारी निर्माण हेतु खुदवाई जा रही थी तब प्रतिवादी सं0 1 द्वारा 5—6 गुण्डा किश्म के मददगारों के साथ आया और वादी की नीव खुदवाने का कार्य रूकवा दिया गया और धमकी दी गयी कि नींव खुदाई का कार्य बन्द न किये जाने पर वह वादी को फर्जी मुकदमें में फंसवा देगा। इसकी सूचना वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 2 नगर पालिका परिषद सीतापुर को दिये जाने और हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य में सहयोग करने को कहे जाने पर प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादी के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया। वादी द्वारा बराबर अनुरोध करने पर भी आवंटन विलेख का निष्पादन व निबन्धन आज तक नहीं कराया गया है जिससे वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दिनांक 03.03.2001 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी के कार्य में पुनः रूकावट उत्पन्न करने का प्रयास करने पर वादी द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर थाना कोतवाली के हस्तक्षेप से प्रतिवादी सं0 1 विवादित भूमि पर कब्जा करने में सफल न हो सका तब प्रतिवादी सं0 1 द्वारा शीघ्र ही विवादित भूमि पर कजा कर लेने की धमकी दी गयी। दिनांक 13.02.2001 को, जब प्रतिवादी सं0 1 द्वारा विवादित भूमि पर वादी द्वारा करायी जा रही नींव खोदाई को रूकवाने का प्रयास किया गया व सफल न होने पर अतिशीघ्र कब्जा कर लेने की धमकी दी गयी तथा प्रतिवादी सं0 2 से बार बार अनुरोध करने पर भी आवंटन विलेख का निष्पादन व निबन्धन न कराये जाने पर वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में स्थाई व्यादेश तथा प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध आवंटन विलेख का निष्पादन कर उपनिबन्धक सीतापुर के समक्ष उसका निबन्धन कराने की बाबत आदेशात्मक व्यादेश के अनुतोष हेतु यह वाद योजित किया गया है।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को न्यायालय के माध्यम से सम्मन व नोटिस भेजे गये किन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 19.03.2004 को एक पक्षीय अग्रसारित की गयी तथा प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान 1/1 ता 1/8 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 06.04.2022 को एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0—1 शैलेन्द्र कुमार यादव का साक्ष्य शपथ पत्र , पी0डब्लू0—2 भगवान स्वरूप वर्मा का साक्ष्य शपथ पत्र, आशीष कुमार सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 01.08.2015 को दाखिल किये गये। वादी द्वारा एक अन्य शपथ पत्र का0सं0 251क1 दाखिल किया गया है। वादी की ओर से दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में दिनांक 14.04.2022 को सूची 9ग1 से सत्यापित प्रति

लेआउट प्लाट का0सं0 10ग1, नकल मांग पंजिका मुंशीगंज, आवासीय योजना बाबत प्लाट सं0 1 का0सं0 11ग, प्लाट सं0 2 का0सं0 12ग, प्लाट सं0 3 का0सं0 13ग, प्लाट सं0 4 का0सं0 14ग, प्लाट सं0 5 का0सं0 15ग, पुलिस अधीक्षक सीतापुर को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.03.2001 का0सं0 16ग1, तथा सूची 181ग से छाया प्रति शुद्धी मैकू बहक गुरूचरन राठौर दिनांक 31.07.2001 का0सं0 182ग, प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.15 प्रेषित उपनिबन्धक सीतापुर का0सं0 183ग, रसीद प्राप्ति प्रार्थना पत्र क्रम सं0 11592 दिनांक 15.09.15 का0सं0 184ग, उद्धरण खतौनी खाता सं0 63 ग्राम सीतापुर पर0, तहसील व जिला सीतापुर सन् 1421 से 1426 फसली का0सं0 185ग दाखिल किये गये है। इसके अतिरिक्त वादी की ओर से अन्य कोई दस्तावेजीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

पत्रावली के सम्यक् परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध विवादित भूखण्ड सं0 5 स्थित मोहल्ला मुंशीगंज निकट पानी की टंकी, पुराना सीतापुर, परगना, तहसील व जिला सीतापुर अक्षरांकित अ,ब,स,द की बाबत स्थाई निषेधाज्ञा तथा प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध उक्त प्लाट के आवंटन विलेख के निष्पादन व उपनिबन्धक सीतापुर के समक्ष उसका निबन्धन कराये जाने के बाबत आदेशात्मक व्यादेश के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वादी के अनुसार एक किता भूखण्ड (जिसमें विवादित भूखण्ड भी शामिल) नगर पालिका परिषद सीतापुर की भूमि थी जिसको आवासीय प्रयोजन हेतु नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा लेआउट प्लाट स्वीकृत कराकर भूखण्ड आवंटित किया गया था जिसमें वादी को विवादित भूखण्ड आवंटित हुआ था। उपरोक्त भूखण्ड पर नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा संगठित आवास योजना के अन्तर्गत मुंशीगंज आवासीय योजना भाग—1 के अन्तर्गत वर्ष 1985 में पंजीयन करके मध्यम आय वर्ग के भूखण्डों का वर्ष 1985 में ही आवंटन किया गया। वादी द्वारा उक्त आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया और पंजीयन धनराशि जमा करके अपना पंजीयन करवाया गया। वादी से आवंटन धनराशि मु0 3000—00 रूपये जमा कराकर विवादित भूखण्ड सं0 5 आवंटित किया गया। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में लेआउट प्लान की सत्य प्रतिलिपि का0सं0 10ग, तथा नकल मांग पंजिका मुंशीगंज आवासीय योजना (भाग—1) बाबत विवादित प्लाट सं0 5, पुलिस अधीक्षक सीतापुर को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2001 का0सं0 16ग, छाया प्रति शुद्धी मैकू बहन गुरूचरन राठौर दिनांक 31.07.2001 का0सं0 182ग, उपनिबन्धक सीतापुर को सम्बोधित पत्र दिनांक 15.07.15 का0सं0 183ग, रसीद की प्राप्ती प्रार्थना पत्र क्रम सं0 11592 दिनांक 15.09.15 का0सं0 184ग1 तथा उद्धरण खतौनी खाता सं0 63 ग्राम सीतापुर, परगना, तहसील व

जिला सीतापुर सन् 1421 से 1426 फसली का0सं0 185ग1 दाखिल किये गये है जिससे उसके वाद पत्र के अभिकथनों की पुष्टि होती है। वादी द्वारा अपने अभिकथनों को अपनी मौखिक साक्ष्य शपथ पत्र का0सं0 252क1 से साबित किया गया है जिसका समर्थन अन्य साक्षीगण भगवान स्वरूप वर्मा तथा आशीष कुमार सिंह द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र का0सं0 253क1 व 254क1 में किया गया है। वादी तथा उसकी ओर से पेश साक्षीगण की प्रति परीक्षा के अभाव में उपरोक्त साक्षीगण का साक्ष्य अखण्डित है जिसके कारण उनपर विश्वास न किये जाने का कोई कारण इस न्यायालय को दर्शित नहीं होता है।

अतः मेरे मत में वादी द्वारा अपने मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के माध्यम से अपने दावे को साबित किया गया है, जिसके फलस्वरूप वादी का वाद विवादित भूमि के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/8 के विरूद्ध तथा विवादित भूमि के आवंटन विलेख के निष्पादन एवं उपनिबन्धक सीतापुर के समक्ष उसका पंजीयन निबन्धन के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध आदेशात्मक व्यादेश के अनुतोष हेतु एक पक्षीय रूप से सव्यय आज्ञप्ति किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद विवादित भूखण्ड सं0 5 स्थित मोहल्ला मुंशीगंज निकट पानी की टंकी, पुराना सीतापुर, परगना, तहसील व जिला सीतापुर अक्षरांकित अ,ब,स,द नगर पालिका परिषद सीतापुर के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/8 के विरूद्ध तथा विवादित भूमि के आवंटन विलेख के निष्पादन एवं उपनिबन्धक सीतापुर के समक्ष उसका पंजीयन निबन्धन के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध आदेशात्मक व्यादेश के अनुतोष हेतु एक पक्षीय रूप से सव्यय आज्ञप्ति किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विवादित भूखण्ड स्थित मोहल्ला मुंशीगंज निकट पानी की टंकी, पुराना सीतापुर, परगना, तहसील व जिला सीतापुर अक्षरांकित अ,ब,स,द पर वादी के स्वामित्व व शान्तिपूर्ण अध्यासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से तथा वादी द्वारा कराये जा रहे निर्माण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है।

प्रतिवादी सं0 2 नगर पालिका परिषद सीतापुर को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की तिथि से 30 दिन के अन्दर वादी के पक्ष में आवंटन विलेख का निष्पादन कर उसका निबन्धन उपनिबन्धक सीतापुर के समक्ष कराये।

(Pramod Singh Yadav)
Civil Judge Senior Division
Sitapur

दिनांक: 25-04-2022

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया ।

(Pramod Singh Yadav)
Civil Judge Senior Division
Sitapur

दिनांक: 25-04-2022

Shive/-

Digitally signed by PRAMOD SINGH YADAV
Date: 2022.05.04 12:09:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur